न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—103/2015/223 (2015/00300)

1. रामनिवास पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम सराधना, तहसील सराधना, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती कंचन पुत्री सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम सराधना, तह0 सराधना, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती इन्द्रा पुत्री सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम सराधना, तह0 सराधना, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि स्व0 अमरचंद पुत्रवधु सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम सराधना, तहसील सराधना, जिला अजमेर ।
5. सुनील पुत्र स्व0 अमरचंद पौत्र सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम सराधना, तहसील सराधना, जिला अजमेर ।
6. अनिल पुत्र स्व0 अमरचंद पौत्र सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम सराधना, तहसील सराधना, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव/आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 31.1.2002 अंतर्गत वाद संख्या190/1999.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.1.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध राजस्थान सरकार/रेस्पो0 संख्या 1 के पेश कर कथन किया कि भूमि खसरा नंबर साबिक 4669 नया खसरा नंबर 5042 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम सराधना तहसील सराधना, जिला अजमेर सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.7.1964 को वादी को आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा संभलाया गया था तथा राजस्व रिकार्ड मे वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया था । वादी लगातार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है । किन्तु वर्किंग जमाबंदी में उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी कारण व आधार के सिवायचक दर्ज कर दी गई है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जावे। अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.2002 द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि आवंटन अधिकारी के द्वारा सूरजकरण को दिनांक 30.7.1964 को आवंटित की गई थी तथा आवंटन आदेश आज भी प्रभाव में है ऐसी अवस्था में आवंटन आदेश के प्रभावी रहते अधी0न्याया0 के द्वारा पारित आदेश व डिक्री विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। सूरजकरण को दिनांक 30.7.1964 को विवादित भूमि का आवंटन किया गया था तब से काबिज काश्त चला आ रहा है । कब्जे काश्त की पुष्टि में प्रदर्श 1 आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 2 से 8 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2023, 2024, 2026, 2027, 2029, 2030, 2034 पेश की थी जिनसे स्पष्ट था कि विवादित आराजी पर आवंटी सूरजकरण के द्वारा ही काश्त की गई है । इस प्रकार प्रदर्श 10 से 12 जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2015 से 2018, प्रदर्श–14 खसरा गिरदावरी संवत् 2024 से 204, प्रदर्श 13 खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033, प्रदर्श–16 तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2038 से 2041 प्रदर्श–17 प्रस्तुत किये थे जिनसे यह प्रमाणित है कि अपीलाधीन आवंटित भूमि पर विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त आवंटी सूरजकरण का ही चला आया है तथा सूरजकरण के स्वर्गवास के बाद वारिसान अपीलांटस का चला आया है । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद विवादित भूमि पर निर्माण करने के आधार पर खारिज किया है जबकि वादी द्वारा विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नही करवाया गया है ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध था । विवादित भूमि खसरा नंबर 5042 के वर्तमान खसरा नंबर 6653 रकबा 0.70 है0 कायम किये गये है । वादपत्र में हल्का पटवारी नारायणसिंह रावत के भी बयान दिनांक 5.2.2001 को करवाये गये है जिसमें पटवारी हल्का ने भी आवंटित विवादित भूमि पर सूरजकरण का कब्जा होना बताया है । पटवारी हल्का ने अपने बयानों में भूमि के किसी भी भाग पर निर्माण होना नहीं बताया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा पटवारी हल्का के बयानों को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । आवंटन की शर्त संख्या 4 के अनुसार धारा 19 के अनुसार आवंटी के द्वारा धारित कृषि भूमि के 1/50 वें हिस्से पर खेती का सामान रखने के लिए निर्माण करने का अधिकार है, जबकि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के किसी भू–भाग पर किसी प्रकार का निर्माण ही नहीं करवाया गया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि दिनांक 1.4.2015 को पटवारी हल्का द्वारा विवादित आवंटित भूमि से कब्जा हटाने को कहे जाने पर अपीलांट सुनील ने दिनांक 5.4.2014 को सूरजकरण द्वारा नियुक्त अधिवक्त श्री अजीतसिंह से संपर्क स्थापित किया कि वादपत्र में क्या कार्यवाही हो रही है । इस पर दिनांक 5.4.2015 को ही सूरजकरण के अधिवक्ता श्री अजीतसिंह ने बताया कि दावा दिनांक 31.1.2002 को खारिज हो चुका है। इस प्रकार अधी0न्याया0 के निर्ण व डिक्री की जानकारी अपीलांटस को दिनांक 5.4.2015 को ही हुई । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 के निर्णय व

डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस/आवंटी द्वारा विवादित आराजी पर आवंटन की शर्तो के विपरीत निर्माण कार्य किया जाकर आवंटन शर्तो का उल्लघंन किया गया है जिससे उक्त आवंटन आदेश प्रभावहीन हो चुका है । बहस में यह भी कथन किया कि आवंटी के पक्ष में गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया है बल्कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात जरिये हस्तातंरण अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम नामांतकरण संख्या 31 दिनांक 16.6.2014 से दर्ज होकर वर्तमान में विवादित आराजी की खातेदार अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर है । विवादित भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांट का नहीं होकर रेस्पो0 संख्या 2 का है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित कर वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.2002 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील दिनांक 26.4.2016 को लगभग 15 वर्ष के भारी विलंब से पेश की है । अपीलांटस ने विलंब के संबंध में अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के पैरा संख्या 2 में यह अंकित किया है कि " दिनांक 1.4.2015 को अपीलाधीन भूमि जो कि अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आयी है से पटवारी हल्का के द्वारा मौके पर अपीलाधीन भूमि का कब्जा हटाने का कहा कि इस पर अपीलार्थीगण कि जिन्हें यह जानकारी थी कि श्री सूरजकरण के द्वारा अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, कि जिसकी जानकारी हेतु अपीलार्थी सुनील के द्वारा दिनांक 5.4. 2015 को श्री सूरजकरण के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री अजीतसिंह से संपर्क स्थापित किया कि वादपत्र में क्या कार्यवाही हो रही है कि इस पर दिनांक 5.4.2015 को ही श्री सूरजकरण के अधिवक्ता श्री अजीतसिंह के द्वारा अपीलार्थी सुनील को यह बताया कि श्री सूरजकरण के द्वारा किया गया दावा दिनांक 31.1.2002 को ही खारिज हो चुका है ।" अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस को उनके पिता द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद उनके द्वारा पिता की मृत्यु उपरांत इतनी लंबी अवधि तक प्रकरण की जानकारी नहीं की गई हो यह संभव नहीं है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे ठोस एवं समुचित नहीं है । आर0बी0जे0 2010 (17) पेज 289 में यह अवधारित किया गया है कि "INDIAN LIMITATION ACT, 1963- Section 5- When there is no sufficient cause shown for not filing the appeal within time, delay of three days cannot be condoned."

8. हस्तगत प्रकरण में भी अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.1.2002 के विरूद्ध लगभग 15 वर्ष के उपरांत भारी मियाद बाहर अपील पेश की है तथा विलंब के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है। ऐसी स्थिति में इतने भारी विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विलंब के ठोस एवं समुचित कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाता है ।

9. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.2.2002 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर